

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 125

बुधवार, 02 मार्च, 2022/11 फाल्गुन, 1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 10.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दी।

"मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि दिनांक 26.02.2022 को माननीय सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुरूप दिनांक 28.02.2022 व 02.03.2022 के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे हुए समझे जाएंगे"।

(दोनों दिनों के लिए निर्धारित प्रश्न कार्यवाही का भाग बने।)

1. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण -

निम्नलिखित ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री जगत सिंह नेगी

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा से हटकर चर्चा करने पर ससंदीय कार्यमंत्री ने आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें चर्चा को अभिभाषण तक ही सीमित रखने हेतु कहा।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को निर्धारित समयावधि के अनुसार चर्चा को समाप्त करने का अनुरोध किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा यह जिक्र करने पर कि "आपने लोगों को मरने के लिए अस्पतालों में भेज दिया", शब्दों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इन्हें कार्यवाही से निकालने का अनुरोध किया, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने रिकॉर्ड देखकर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

3. श्री राकेश सिंघा

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना आरम्भ किया। उत्तर के बीच में ही विपक्ष ने 12.02 बजे अपराह्न माननीय मुख्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर अपना उत्तर पूर्ण किया। उन्होंने उत्तर के बीच में ही विपक्ष द्वारा किए गए बहिर्गमन की भी घोर निंदा की।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाए -

"इस सदन में एकत्रित सदस्य राज्यपाल महोदय का दिनांक 23 फरवरी, 2022 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

3. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री सुभाष ठाकुर, सदस्य ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-

"भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के कार्यालय को बिलासपुर में स्थापित करने पर यह सदन विचार करे।"

(12.30 बजे अपराह्न श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जीत राम कटवाल
2. श्री होशयार सिंह

(1.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

वन मंत्री, श्री राकेश पठानिया ने श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोले गए शब्द कि "मटौर-शिमला की फाइल तीन महीनों से विभाग में साइन होने के लिए पड़ी है, वह अभी तक साइन क्यों नहीं की है, क्या मंत्री जी उसमें से कुछ चाहते हैं" पर आपत्ति व्यक्त की तथा स्थिति स्पष्ट की।

तत्पश्चात उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री सुभाष ठाकुर, सदस्य ने एक बिन्दु पर जानकारी चाही।

माननीय मंत्री ने जानकारी दी।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए नियम-130 के तहत दिए गए प्रस्ताव कि "शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे" के मूल उद्घरण को बदलने बारे आपत्ति व्यक्त की। जिस पर **माननीय अध्यक्ष** ने कहा कि चर्चा के दौरान प्रस्ताव की मूल भावना पर चर्चा की जा सकती है।

(2) श्री विक्रमादित्य सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की-
"शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत हो रहे विकासात्मक कार्यों पर यह सदन विचार करे।"

(2.35 बजे अपराह्न श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
2. श्री जगत सिंह नेगी
3. श्री संजय अवस्थी
4. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
5. श्री राकेश सिंघा
6. श्री बलबीर सिंह वर्मा

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य ने डॉग हट तथा कच्चीघाटी में सीवरेज लाइन की समस्या के बारे में अवगत करवाया, जिस पर **माननीय शहरी विकास मंत्री** ने समस्या को अलग से लिखकर देने हेतु कहा ताकि नगर निगम के अंतर्गत कोई व्यवस्था की जा सके।

4.50 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 03 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।